

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक प.2(28)वित्त/कर/2019

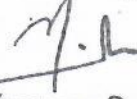
जयपुर दिनांक : 30.12.2022

आदेश

राज्य में ई-स्टाम्प व्यवस्था लागू करने के संबंध में दिनांक 04.09.2019 को Stock Holding Corporation of India Limited (SHCIL) एवं राज्य सरकार के मध्य निष्पादित ई-स्टाम्प एग्रीमेण्ट के क्लॉज 1 में प्रदत्त शक्तियों के तहत राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 5(g) में वर्णित श्रेणी के इकरारनामा (Agreement) के दस्तावेज के National e-Governance Services Limited (NeSL) के पोर्टल पर Electronic Form में निष्पादित होने पर इस दस्तावेज के पक्षकारों को राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 एवं इसके तहत जारी अधिसूचनाओं के अनुरूप स्टाम्प ड्यूटी का ऑनलाईन भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए SHCIL को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही ई-स्टाम्प एग्रीमेण्ट दिनांक 04.09.2019 के क्लॉज 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त दस्तावेज पर पक्षकारों से SHCIL के माध्यम से स्टाम्प ड्यूटी का ऑनलाईन भुगतान प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए NeSL को Authorised Collection Centre नियुक्त करने के लिए SHCIL को एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,

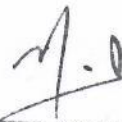


(नम्रता वृष्णि)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर।
2. Regional Manager, Stock Holding Corporation of India Limited, 213, IInd Floor, Sangam Tower, Church Road, Jaipur-302001 (e-mail-shcil.jaipur@stockholding.com) को भेजकर लेख है कि उक्त दस्तावेजों की संख्या एवं उन पर भुगतान की गई स्टाम्प ड्यूटी एवं इनसे संबंधित अन्य सूचनाएं राज्य सरकार के निर्देशानुसार एवं मांग पर उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
3. Managing Director & CEO, NeSL, Gresham Assurance House, Fourth Floor, Sir PM Road, Fort Mumbai-400001 (e-mail-niveditaep@nesl.co.in).
4. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव